2. रा.रा.क्षे. दिल्ली में अपराध की घटनाएं

अपराध की रोकथाम और जीवन, स्वतंत्रता, संपति, मानवाधिकार और जनता के सदस्यों की गरिमा की सुरक्षा पुलिस के मुख्य कार्यों में से है। 2019 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली में भारतीय दंड संहिता[2] (भा.द.सं.) के तहत दर्ज किए गए अपराधों की घटनाओं में 2013 की तुलना में 275 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जैसाकि चार्ट 2.1 और 2.2 में दर्शाया गया है।

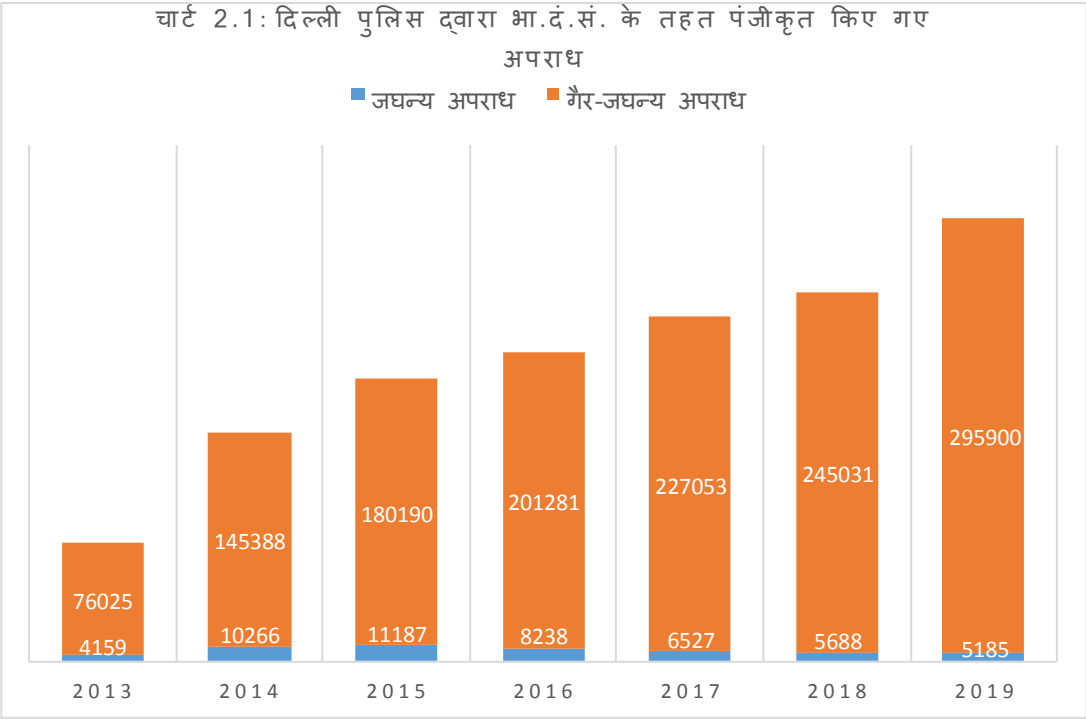

स्रोतः दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर दिए गए आंकडे

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दर्ज किए गए आईपीसी अपराधों की कुल संख्या में तीव्र वृद्धि मुख्यतः "अन्य थेफ्ट" के तहत (2013 में 0.12 लाख से 2019 में 1.91 लाख) और "मोटर वाहन थेफ्ट" के तहत (2013 में 14,916 से 2019 में 46,215) दर्ज अपराधों में भारी वृद्धि के कारण थी। दिल्ली पुलिस ने अन्य थेफ्ट और मोटर वाहन थेफ्ट में इस तीव्र वृद्धि का श्रेय, अपराधों की बेहतर रिपोर्टिंग और मोटर वाहनों और अन्य संपत्तियों की थेफ्ट के लिए पुलिस स्टेशनों में आये बिना ई-एफआईआर दर्ज करने की सुविधा को दिया। इस बीच, 2013 से 2019 तक 'स्नैचिंग' के तहत दर्ज अपराधों की संख्या में 72 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

[2] भा.द.सं. के तहत आने वाले विभिन्न अपराधों में हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, दंगा, अपहरण, आगजनी, डकैती के लिए तैयारी व योजना, लूट आदि शामिल है।

चार्ट 2.2.: विभिन्न श्रेणियों में दर्ज जघन्य अपराध

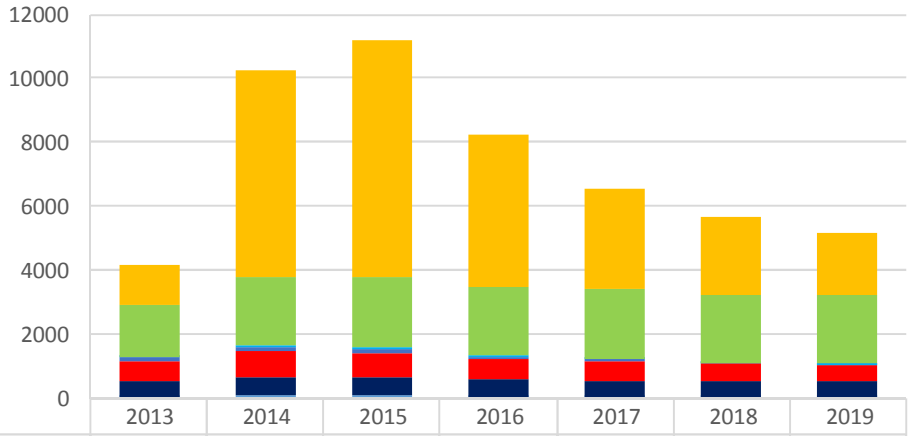

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
चोरी	1245	6464	7407	4761	3147	2444	1956
बलात्कार	1636	2166	2199	2155	2146	2135	2168
फिरौती के लिए अपहरण	30	38	36	23	16	19	15
दंगे	113	160	130	79	50	23	23
हत्या का प्रयास	585	770	770	646	645	529	487
हत्या	517	586	570	528	487	513	521
डकैती	33	82	75	46	36	25	15

स्रोतः दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़े

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 2013 में 4,159 से 2019 में 5,185 तक जघन्य अपराधों में वृद्धि हुई थी, जैसाकि ऊपर चार्ट 2.2 में देखा गया है। हालांकि, दर्ज किए गए जघन्य अपराधों की कुल संख्या में वर्ष 2013 से 2015 तक तेजी से वृद्धि हुई और फिर 2015-2019 के दौरान लगातार कमी आई अर्थात् एक सकारात्मक प्रवृति है। इस बीच, दंगा श्रेणी के तहत अपराध, वर्ष 2013 में 113 से घटकर वर्ष 2019[3] में 23 रह गए।

[3] हालांकि 'दंगा' श्रेणी के तहत अपराध जनवरी-अप्रैल 2020 में तेजी से बढ़कर 680 हो गए, जबकि इसके विरूद्ध 2019 में इसी अवधि के दौरान ऐसे मामले केवल दो थे।